



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक 1943 (श0)
(सं0 पटना 894) पटना, सोमवार, 1 नवम्बर 2021

IE 27@vkjki&01&39@2019&11361@lk0ç0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

27 सितम्बर 2021

श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1130/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद, रोहतास, सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियां के विरुद्ध लैपटॉप, हाई मास्ट लाईट, 16 मीटर डेकोरेटिव पोल स्ट्रीट लाईट एवं एल0ई0डी0 क्रय में अनियमितता बरते जाने संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-50/ स्था0, दिनांक-18.01.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र "क" प्राप्त हुआ।

2. उक्त कार्य के लिये श्री प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद, रोहतास के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-4251, दिनांक-10.04.2017 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक-01.10.2017) पर नगर विकास एवं आवास विभाग से विभागीय पत्रांक-13864, दिनांक-03.11.2017 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2615, दिनांक-17.08.2021 द्वारा श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है।

3. श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रकाश के विरुद्ध वृहत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री प्रकाश के विरुद्ध संचालित की जाने वाले विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रकाश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 894-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>